



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 10078/07/2014/चयन

इन्दौर, दिनांक 21 SEP 2016

चयन परिणाम

(माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी./367/2015 (एस) एवं याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 369/2015 में पारित निर्णय के परिपालन में)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2013/दिनांक 28.09.2013 के द्वारा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के कुल 41 पद विज्ञापित किये गये थे। जिसके चयन हेतु दिनांक 20.07.2014 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 12.11.2014 को घोषित किया जाकर अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 23 एवं 24 जनवरी, 2015 को आयोजित किये गये थे। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम दिनांक 28.01.2015 को घोषित किया गया था।

2/ आयोग द्वारा न्यायालयीन प्रकरण वाले आवेदकों के चयन परिणाम न्यायालयीन निर्णय के अध्ययन रखे जाकर रोके गये हैं।

3/ याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 367/2015 (एस) सैय्यद मुहम्मद फैसल इकबाल विरुद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा दिनांक 20.01.2015 को पारित निर्णय के परिपालन में एवं याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 369/2015 (एस) मौहम्मद नाजिम विरुद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा दिनांक 20.01.2015 को पारित निर्णय के परिपालन में याचिकाकार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 23.01.2015 को आयोजित किया गया।

4/ उक्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी./367/2015 (एस) में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 के अनुपालन में याचिकाकार सैय्यद मुहम्मद फैसल इकबाल रोल नम्बर 100822 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी./369/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 के अनुपालन में याचिकाकार मौहम्मद नाजिम रोल नम्बर 100438 का चयन परिणाम, दिनांक 28.01.2015 को घोषित चयन परिणाम के आधार पर याचिकाकारों का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-


मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	दिनांक 28.01.2015 को घोषित चयन परिणाम में वरिष्ठता की स्थिति
1	100438	मौहम्मद नाजिम	M	अनारक्षित (मुख्य सूची के स.क. 10 के नाम के बाद 10 ए पर संस्थित)

अनुपूरक सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	दिनांक 28.01.2015 को घोषित चयन परिणाम में वरिष्ठता की स्थिति
1	100822	रौय्यद मुहम्मद फैसल इकबाल	M	अनारक्षित (अनुपूरक सूची (अनारक्षित) के स.क. 3 के नाम के बाद 3 ए पर संस्थित)

5/ "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।"


 (बंदना वैद्य)
 उप सचिव


 शशिगाँव